

जम्हिले दीनदयाल उपाध्याय अन्तोदय संबल पखवाडा कैम्प 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- कल्पित शिवरान आर.ए.एल

क्रमांक :- दुकस्ती / 2025 / 51

दिनांक :- 26/06/25

आदेश

ग्रामी के खाता दुकस्ती ग्रथना पत्र में नुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा ग्रामी शांतिदेवी पुत्री धनपत निवासी निनाग के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही नौजा चक 12 एएनएल व 13 एएनएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जनाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

नोट- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई नुकदना अथवा कोई बलाया देव आदि शांति पुत्री धनपत के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम शांति पुत्री धनपत ही लागू होगा।

| क्रम/चक/पटदार नम्बर | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 एएनएल | 86/80 | शांति पुत्री धनपत | शांति देवी पुत्री धनपत |
| 13 एएनएल | 12/92 | शांति पुत्री धनपत | शांति देवी पुत्री धनपत |

Kalpit
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :- 26/06/25

क्रमांक:- सन/2025/52-53

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को नेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. शांतिदेवी पुत्री धनपत को सूचनार्थ।

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

